न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–352 / 2019(जीसीएमएस नम्बर 2019 / 00286)

1. ओमप्रकाश मीना पुत्र श्री सुल्तान मीना, जाति मीना उम्र 34 वर्ष निवासी प्लॉट नम्बर सी–180, दाधीच नगर, मुरलीपुरा, जयपुर, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. भूराराम पुत्र स्व. श्री नारायण,
2. ग्यारसी लाल पुत्र स्व. श्री नारायण,
3. पांचूराम पुत्र स्व. श्री नारायण,
4. राजू पुत्र स्व. श्री गुलाबचन्द नाबालिंग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती गोमादेवी पत्नी स्व. श्री गुलाबचन्द,
5. श्रीमती गोमा देवी पत्नी स्व. श्री गुलाबचन्द समस्त जाति मीना निवासीगण ग्राम चिताणुकलां तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान। **(नाम हजफ आदेश दिनांक 26.03.24)**
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

7. श्रीमती नानगी देवी पत्नी स्व. श्री नारायण जाति मीना, निवासी ग्राम चिताणुकलां तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री सुमेर सैनी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री प्रेमप्रकाश शर्मा, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से**

अपील संख्याः–3 / 2020(जीसीएमएस नम्बर 2020 / 00002)

1. श्रीमती सरिता मीना पत्नि श्री रामगोपाल मीना, जाति मीना, उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बाढ़ चेला तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. भूराराम पुत्र स्व. श्री नारायण,
2. ग्यारसी लाल पुत्र स्व. श्री नारायण,
3. पांचूराम पुत्र स्व. श्री नारायण,
4. राजू पुत्र स्व. श्री गुलाबचन्द नाबालिंग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती गोमादेवी पत्नी स्व. श्री गुलाबचन्द,
5. श्रीमती गोमा देवी पत्नी स्व. श्री गुलाबचन्द समस्त जाति मीना निवासीगण ग्राम चिताणुकलां तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।**(नाम हजफ आदेश दिनांक 26.03.24)**
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

7. श्रीमती नानगी देवी पत्नी स्व. श्री नारायण जाति मीना, निवासी ग्राम चिताणुकलां तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।**(दौराने अपील फौत)**

संभागीय आयुक्त
जयपुर

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री सुमेर सैनी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री प्रेमप्रकाश शर्मा, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से**

P.T.O.

अपील संख्याः—जीसीएमएस **नम्बर 2021/149**

1. भैरूराम पुत्र श्री धन्नालाल, जाति मीना, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम चिताणुकलां, उपली ढाणी, निम्स युनिर्वसिटी के पास, तहसील आमेर जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. भूराराम पुत्र स्व. श्री नारायण,
2. ग्यारसी लाल पुत्र स्व. श्री नारायण,
3. पांचूराम पुत्र स्व. श्री नारायण,
4. राजू पुत्र स्व. श्री गुलाबचन्द नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती गोमादेवी पत्नी स्व. श्री गुलाबचन्द,
5. श्रीमती गोमा देवी पत्नी स्व. श्री गुलाबचन्द समस्त जाति मीना निवासीगण ग्राम चिंताणुकलां तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।**(दौराने अपील फौत)**
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।
7. श्रीमती नानगी देवी पत्नी स्व. श्री नारायण जाति मीना, निवासी ग्राम चिंताणुकलां तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।**(दौराने अपील फौत)**

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. **श्री गुलाबचन्द, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री प्रेमप्रकाश शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से**

दिनांकः 08.12.2025

निर्णय

अपीलार्थीगण द्वारा उपरोक्त तीनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.08.2016 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 76 की तहत प्रस्तुत की गई। उक्त तीनों अपीलें नामान्तरकरण संख्या 121 के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही निर्णय के विरूद्ध एवं भूमि विवादग्रस्त एक समान ही होने के कारण तीनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

अपीलान्ट ओमप्रकाश के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 7 ने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 566, 568, 569, 570, 575, 578/2400, 590/2439, 591, 805 एवं 808 कुल किता 10 रकबा 1.47 हैक्टयर में से अपने 1/5 हिस्से का बेचान अपीलान्ट को विधिवत रूप से जरिये वैद्य पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 12.11.2014 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर विधिवत रूप से पंजीबद्ध करवा लिया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय आमेर जिला जयपुर के यहॉ पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 544 में पृष्ट संख्या 185 के क्रम संख्या 2014064005112 पर दिनांक 17.11.2014 को पंजीबद्ध किया गया था। जिसकी अतिरिक्त प्रति पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1682 के पृष्ठ संख्या 282 से 296 पर चस्पा की गई थी। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 548, 566, 568 569, 570, 575, 578/2400, 590/2439, 591 कुल किता 9 रकबा 2.22 हैक्टयर में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने हक हिस्से की 1/5 भूमि का बेचान विधिवत रूप से अपीलान्ट को दिनांक 07.05.2014 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दिया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय आमेर के यहॉ पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 529 में पृष्ठ संख्या 113 के क्रम संख्या 2014064002040 पर दिनांक 07.05.2014

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

को पंजीबद्ध किया गया था जिसकी अतिरिक्त प्रति पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1621 के पृष्ठ संख्या 123 से 137 पर चस्पा की गई। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 7 ने मौके पर अपीलान्ट को भूमि कब्जा भी सुपुर्द कर दिया था। वर्तमान में अपीलान्ट का अपनी क्रयशुदा भूमि पर कब्जा काश्त हैं। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 7 ने अपने–अपने हिस्से की भूमि का बेचान सन् 2014 में प्रतिफल राशि प्राप्त करने के उपरान्त उक्त नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 26.08.1997 के विरूद्ध अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन आदेश पारित करवाया गया है। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 18.12.2019 को रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को उसकी कब्जे काश्त की भूमि में मजाहमत पैदा करने एवं अपीलान्ट को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने का अनुचित प्रयास करने पर एवं असामाजिक किस्म के लोगों के माध्यम से अपीलान्ट को उसकी क्रयशुदा भूमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दिये जाने पर उक्त अपील की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 19.12.2019 को प्राप्त करने पर हुई। उक्त निर्णय के अवलोकन से अपीलान्ट को समस्त तथ्यों की जानकारी हुई एवं आलौच्य एवं एकतरफा निर्णय बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये एवं बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपीलान्ट की अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी., प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील स्वीकार फरमाई जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2016 को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

इस प्रकार अपीलान्ट श्रीमती सरिता मीना के अधिवक्ता ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है रेस्पाडेन्ट संख्या 7 ने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1743 रकबा 1.47 हैक्टयर में से अपने 1/5 हिस्से का बेचान अपीलान्ट को विधिवत रूप से जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2015 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर विधिवत रूप से पंजीबद्व करवा लिया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय आमेर जिला जयपुर यहाँ पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 951 में पृष्ठ संख्या 1 के क्रम संख्या 201506700369 पर दिनांक 09.02.2015 को पंजीबद्व किया गया था। जिसकी अतिरिक्त प्रति पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3397 के पृष्ठ संख्या 580 से 587 पर चस्पा की गई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 ने मौके पर अपीलान्ट को भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया था। वर्तमान में अपीलान्ट का अपनी क्रयशुदा भूमि पर कब्जा काश्त हैं। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 7 ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान सन 2015 में प्रतिफल राशि प्राप्त करने के उपरान्त उक्त नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 26.08.1997 के विरूद्ध अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन आदेश पारित करवाया गया है। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 18.12.2019 को रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को उसकी कब्जे काश्त की भूमि में मजाहमत पैदा करने एवं अपीलान्ट को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने का अनुचित प्रयास करने पर एवं असामाजिक किस्म के लोगों के माध्यम से अपीलान्ट को उसकी क्रयशुदा भूमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दिये जाने पर उक्त अपील की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 19.12.2019 को प्राप्त करने पर हुई। उक्त निर्णय के अवलोकन से अपीलान्ट को समस्त तथ्यों की जानकारी हुई एवं आलौच्य एवं एकतरफा निर्णय बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये एवं बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपीलान्ट की अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी., प्रार्थना

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील स्वीकार फरमाई जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2016 को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

इसी प्रकार अपीलान्ट भैरूराम के अधिवक्ता ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व 6 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पिता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के पति ने खसरा नम्बर 1114 रकबा 0.29 हैक्टयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 1117 रका 0.25 हैक्टयर किस्म चाही–प्रथम कुल किता 2 कुल रकबा 0.54 हैक्टयर का सम्पूर्ण भाग तथा खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.03 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन चाह कुल किता 1 कुल रकबा 0.03 हैक्टयर में पौने पांच आना की खातेदारी भूमि को जरिये विक्रय पत्र अपीलान्ट को बेचान कर दी तथा कब्जा अपीलान्ट को सुपुर्द कर दिया गया तथा विक्रय पत्र प्रतिफल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पिता व 5 के पति ने प्राप्त कर विक्रय पत्र उप पंजीयक अधिकारी आमेर के समक्ष दिनांक 03.02.2003 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 232 में पृष्ठ संख्या 85 क्रम संख्या 371 पर पंजीबद्व किया गया तथा अतिरिक्त प्रति पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 431 के पृष्ठ संख्या 397 से 404 पर चस्पा किया गया। इस प्रकार विधिवत रूप से विक्रय पत्र निष्पादित किया गया। वर्तमान में अपीलान्ट का अपनी क्रयशुदा भूमि पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के पति तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 ने राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि का बेचान वर्ष 2003 में कर दिया जिसका नामान्तरकरण भी अपीलान्ट के पक्ष में खोला जाकर राजस्व जमाबन्दी कायम की गई। विक्रय की गई भूमि शुरू से अलग खाते की भूमि रही है तथा अपीलान्ट के नाम भी उक्त भूमि अलग खाते के रूप में दर्ज रिकार्ड रही है। अपीलान्ट अपनी भूमि पर बैंक से केसीसी का ऋण पांच साल के लिऐ प्राप्त किया जब बैंक वाले ने जून 2021 में केसीसी को रिन्यू करवाने बाबत अपीलान्ट को कहा कि आपकी केसीसी को पांच साल हो गये है और आप दुबारा अपनी जमीन के कागजात प्रस्तुत करके केसीसी को रिव्यू करवाओं इसलिए जब अपीलान्ट ने अपनी भूमि की जमाबन्दी निकलवाई तो जमाबन्दी अपीलान्ट के नाम नही निकलकर नारायण पुत्र हरदेव के नाम की निकली। जब रेस्पोडेन्ट से सम्पर्क कर इस बाबत पुछ–ताछ की तो उन्होने कहा कि यह सब कोर्ट के आदेश से हुआ है तो अपीलान्ट को कहा कि कोर्ट से तो अपीलान्ट के नाम कोर्ट नोटिस आज तक आया ही नही, कोर्ट अपीलान्ट को बिना नोटिस भेजे व बिना सुने ऐसी गलती कैसे कर सकती है। तो रेस्पोडेन्ट ने कहा कि इसका तो हमे ज्ञान नही वकील से आपकी बात करवा देंगे। तब दिनांक 21.06.2021 को वकील साहब से जयपुर आकर बातचीत की तो अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई कि रेस्पोडेन्ट ने आपस में मिलीभगत कर झुठे तथ्यों पर अपील पेश कर अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये एवं बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय पारित करवा लिये है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, एवं 4 की ओर से प्रकरण में अपील का जवाब प्रस्तुत कर अपने जवाब में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत नही करना कथन किया है तथा विरासत का फौती नामान्तरकरण संख्या 121 सही प्रकार कसे खाला जाना अंकित किया है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 121 के सम्बन्ध में उन्हे किसी प्रकार का एतराज नही होना अंकित कर अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन भी किया है। अतः अपीलान्ट की अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

5 मियाद अधिनियम एवं अपील अपलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.08.2016 को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपील के तथ्यों को स्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट के पिता नारायण के स्वर्गवास के बाद जरिये नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 26.08.1987 को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी आमेर द्वारा अनुचित व अवैध रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 7 के नाम भी तस्दीक कर दिया जो तथ्यों, रिकार्ड न्याय शास्त्र के सिदान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 7, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की माता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की दादी है, जो अनुसूचित जनजाति के होने के कारण उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है बल्कि ऑल्ड हिन्दू लॉ में शासित होते है जिनके अनुसार मृतक का पुरूष वारिस होने की सूरत में स्त्री वारिस को विरासत में कोई सम्पत्ति नही मिलती है जबकि अधीनस्थ सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी आमेर द्वारा रेस्पोडेन्ट श्रीमती नानगी देवी का नाम भी नामान्तरकरण संख्या 121 में दर्ज कर तस्दीक कर अनुचित अवैध आदेश पारित किया गया था, जो प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय था। उन्होने यह भी कथन किया है कि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ने नामान्तरकरण कार्यवाही की सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही की गई है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 121 निरस्तनीय ही था। अतः अपीलार्थीगण की तीनों अपीले खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण प्रश्नगत भूमि के सद्भाविक क्रेतागण एवं प्रभावित पक्षकार होने के कारण अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी स्वीकार किये जाते है तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। अपर न्यायालयो की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें विलम्ब से प्रस्तुत अपीलें/प्रार्थना पत्रादि के प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए व प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्य के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाते है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि के खातेदार नारायण की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 26.08.1997, खातेदार की पत्नी नानगी देवी एवं पुत्रान भूराराम, ग्यारसीलाल, पांचूराम, गुलाबचन्द के नाम स्वीकार हुआ है। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध खातेदार के पुत्रों द्वारा प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जनजाति (मीना जाति) समुदाय की होना एवं अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होना अवगत कराते हुए अपनी माता के नाम विरासत के आधार पर तस्दीक हुए नामान्तरकरण को विधि विरूद्ध बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जबकि यह प्रथागत रूप से शासित आदिवासियों पर लागू होता है, और प्रथा जैसा कि सर्वविदित है, लोगों और क्षेत्रों के अनुसार भिन्न–भिन्न होती है। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा संबंधित क्षेत्र व जनजाति समुदाय में स्थापित परंपरा के कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया गये है। प्रश्नगत भूमि के खातेदार नारायण के वारिसान पुत्रों एवं उनकी माताजी द्वारा संयुक्त रूप से प्रश्नगत भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 03.02.2003, 12.11.2014 एवं 09.02.2015 (जिन विक्रय पत्रों पर मॉ एवं पुत्रों की फोटो भी चस्पा है) के

संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा अपीलार्थीगण को किया गया। उसके बावजूद खातेदार के पुत्र वारिसों द्वारा नामान्तरकरण संख्या 121 के विरूद्ध दिनांक 06.06.2016 लगभग 19 वर्ष के असाधारण विलम्ब से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत भूमि के क्रेतागण को बिना पक्षकार बनाये ही अपील प्रस्तुत की गई थी, जो अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर ही खारिज योग्य थी।

हस्तगत अपील में प्रश्नगत भूमि के खातेदार के वारिस पुत्रों भूराराम व ग्यारसी लाल ने प्रश्नगत भूमि का बैचान अपीलार्थीगण को उनकी माताजी नानगी देवी व उनके भाईयों द्वारा किया जाना अपने जवाब एवं प्रार्थना पत्र में अंकित किया है एवं रेस्पोडेन्ट ग्यारसीलाल ने न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन अपील को स्वीकार करने हेतु अपनी सहमति भी दी है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया गया है जिससे अपीलार्थीगण के पक्ष में किये गये विक्रय पत्रों को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया जाना साबित होता हो। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीगण की तीनों अपीलें स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की तीनों अपीले स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.08.2016 को खारिज किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 26.08.1997 को बहाल किया जाता है। यदि रेस्पोडेन्ट के प्रश्नगत भूमि में किसी प्रकार के हक, हकूक, अधिकार विपरीत प्रभावित हो रहे है, तो इसके लिये वे सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर चाराजाही करने हेतु स्वतंत्र है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।